कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार को अब तक पांच अन्तर्राज्यीय जल विवाद भेजे गये हैं जो इस प्रकार हैं:-

अन्तर्राज्यीय जल विवाद	शामिल राज्य
(I) गोदावरी जल विवाद	आन्ध्र प्रदेश,उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक
(II) कृष्णा जल विवाद	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र
(III) नर्मदा जल विवाद	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान
(IV) रावि व्यास जल विवाद	जम्मू व कश्मीर,पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली
(V) कावेरी जल विवाद	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी

(ख) केन्द्र सरकार अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1996 के तहत उपर्युक्त विवादों को निर्णय करने के लिए पहले ही अधिकरण गठित कर चुकी है । अधिकरण उपरिलिखित पहले तीन जल विवादों के सम्बन्ध में अपने-अपने अन्तिम पंचाट पहले ही दे चुके हैं। रावी व्यास और कावेरी के मामले में, अधिकरणों की कार्रवाईयां जारी है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सम्पूर्ण देश की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए अध्ययन कर रहा है ताकि जल को अधिशेष क्षेत्रों से राजस्थान सहित जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानान्तरित किया जा सके। अध्ययन के अंतर्गत राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जल अन्तरण सम्पर्क नीचे दिए गये हैं:-

सारदा—यमुना सम्पर्क ।
यमुना—राजस्थान सम्पर्क ।
राजस्थान—साबरमती सम्पर्क।

समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रस्तावों पर अभी अध्ययन किये जा रहे हैं।

गंगा नदी के बाढ़ के पानी का वितरण

261. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के पास कितने अन्तर्राज्यीय जल विवाद विचाराधीन है तथा तत्संबंधी रवैया क्या है;

पानी की कितनी मात्रा की मांग की गई है तथा क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इस आशय की सिफारिश की है:

(घ) गंगा नदी के बाढ़ के पानी के वितरण के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कब तक अन्तिम सिफारिश कर दी जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपा) : (क) और (ख) इस समय दो अंतर्राज्यीय जल विवाद अर्थात रावी-व्यास जल विवाद एवं कावेरी जल विवाद भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित अधिकरणों के निर्णयाधीन है। रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण ने 30.1.87 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25.6.1991 को एक अंतरिम आदेश दिया है।

(ग) और (घ) राजस्थान अपने शुष्क क्षेत्रों में उपयोग के लिए हरिद्वार से 1133 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेण्ड (क्यूमेक) और बिजनौर से गंगा के बाढ़ के पानी के 566 क्यूमेक जल के व्यपवर्तन की मांग कर रहा है। राजस्थान में उपयोग के लिए हरिद्वार और